# वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
## (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
## भाग – 2
## (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या .....

| | | |
|---|---|---|
| 1. | परियोजना / स्कीम का स्थान | गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट के तहतज आप्टीकर फायबर केबल बिछाना । |
| i- | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | छत्तीसगढ़ |
| ii- | जिला | गरियाबंद |
| iii- | वन प्रभाग | गरियाबंद वन मण्डल गरियाबंद |
| iv- | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन/राजस्व–वन भूमि का क्षेत्र (हे.) | 19.099 हे. |
| v- | वन की कानूनी स्थिति | आरक्षित वन भूमि रकबा – 1.560 हेक्टेयर<br>संरक्षित वन भूमि रकबा – 13.072 हेक्टेयर<br>नारंगी वन भूमि रकबा – 3.366 हेक्टेयर<br>राजस्व वन भूमि रकबा – 1.101 हेक्टेयर |
| vi- | हरियाली | घनत्व 0.4–0.6 है। |
| vii- | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.,एफ.एफ.आर.एल. – 2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये। | आवश्यक नही है। |
| viii- | भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी । | भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता सामान्य है। भू–क्षरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी।. |
| ix- | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी । | वन क्षेत्र अंतर्गत |
| x- | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व ,बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबंधित की जाए ) | आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग नहीं है। |



Scanned with CamScanner

xi- क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हॉ / तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। **नही**

xii- कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों दें। **नहीं**

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग –1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि हॉ तो , जांचे गये विकलपों के ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित हो , दें।

**आवेदक संस्था द्वारा मांग की वन/राजस्व वन/नारंगी भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।**

9. क्या अधिनियम के उल्लधंन में कोई कार्य किया गया है। (हॉ / नहीं ) यदि हॉ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे , क्या उल्लंधन संबंधी कार्य अभी चल रहें है।..... **नहीं।**

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा **आवश्यक नहीं है।**

11. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू– खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार । **निरंक।**

i- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप । **आवश्यक नहीं ।**

ii- रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। – **आवश्यक नहीं ।**

iii- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय –**आवश्यक नहीं ।**

iv- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र ( संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।) **आवश्यक नहीं ।**

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः कालम 7(xi,xii),8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें )

**आवेदित भूमि में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ नही पायी जाती तथा कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नही है तथा आवेदक संस्था द्वारा मांग की गई वनभूमि आवश्यकता परियोजनायों के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है तथा अधिनियम के उल्लघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।**



Scanned with CamScanner

12\. विभाग / जिला प्रोफाईल — मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर छ.ग.।

i- जिले का भौगोलिक क्षेत्र — गरियाबंद जिले की भौगोलिक स्थिति – 5822.86 वर्ग किलोमीटर है।

ii- जिले का वन क्षेत्र — गरियाबंद जिले का वन क्षेत्र –2796.03वर्ग किलोमीटर है।

मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।

स्वीकृत प्रकरण संख्या – 12रकबा –241.075 हे.

iii- 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :

संख्या 12 रकबा 551.166

क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि ।

निरंक

ख. वनेत्तर भूमि पर ।

निरंक

iv- तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :

(क). राजस्व भूमि । — रकबा – 101.398 हें.

(ख) वनेत्तर भूमि पर — रकबा – 449.768 हे.

v- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव का अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश –

अपर मुख्य सचिव छ.ग. शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 7–3/2018/10–2 दिनांक 26/05/2018 के निर्देशानुसार वन भूमि पर भूमिगत् आप्टीकल फायबर केबल राईट ऑफ वे के अंतर्गत बिछाने पर वन विभाग को आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर

सील एवं मुहर

स्थान :- गरियाबंद

दिनॉक :- 17-02-2020

Divisional Forest Officer
Gariaband Division Gariaband
[ मयंक अग्रवाल ]
भा. व. से.

P:\Harish\Technical\Thakur sir\ 40 nag Qua. Check List



Scanned with CamScanner